कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

आदेश–I

क्रमांक/स्था0/2025/ 613 दिनांकः— 03/12/25

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 द्वारा उनके न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2024 दिनांक 20.11.2024 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है। आदेशानुसार समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे, परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समस्त न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 8 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश भी दिया गया है कि दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लंबित है, उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करेंगे, सुनेंगे एवं निपटायेंगे।

उक्त आदेश की पालना में शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों मय विशिष्ठ न्यायालय जिनका कार्य जिला न्यायाधीश व अजमेर न्यायक्षेत्र के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों में निहित है, की अनुपस्थिति में अजमेर न्यायक्षेत्र के पूरे सेशन खण्ड के आवश्यक आवेदन पत्र, जमानत आवेदन पत्र तथा सेशन व रिमाण्ड सम्बन्धी आवेदन पत्र जो सेशन, अपर सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जायेंगे या लंबित है, को सुनने व निपटाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पद	ड्यूटी दिनांक
1.	श्री पूरण सिंह मीणा अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न.01 अजमेर	दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 26.12.2025 तक
2.	श्रीमती अन्नु यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) अजमेर	दिनांक 27.12.2025 से दिनांक 29.12.2025 तक
3.	श्रीमती रितिका कपूर विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण) अजमेर	दिनांक 30.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक

नोटः— उक्त न्यायालय उक्त अवधि में पेश होने वाले आवश्यक सिविल मामलों का भी निपटारा करेंगे।

आदेश–II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश अवधि में अजमेर न्यायक्षेत्र के जमानत एवं निरोध अवधि आदि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल एवं आपराधिक मामलों को निपटाने के लिये एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने के निर्देश हैं।

अतः शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान सम्पूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल व आपराधिक कार्यों की सुनवाई हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पद	ड्यूटी दिनांक
1.	श्रीमती बबीता वर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण अजमेर	दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 27.12.2025 तक
2.	श्री नवीन मीणा विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 03 अजमेर	दिनांक 28.12.2025 से दिनांक 30.12.2025 तक
3.	श्रीमती भावना सिंह अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न.06 अजमेर	दिनांक 31.12.2025

उक्त न्यायालयों के अलावा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बन्द रहेंगे।

आदेश II में अंकित अधिकारीगण अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य की देखरेख एवं व्यवस्था संबंधी सुपरविजन भी करेंगे।

आदेश I में अंकित अधिकारीगण उनकी ड्यूटी अवधि में आने वाले राजकीय/सार्वजनिक अवकाशों में रिमाण्ड एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। आदेश II में अंकित अधिकारीगण राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश के दिन समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक न्यायालय में कार्य निष्पादित करेंगे एवं उक्त कार्य समय के अतिरिक्त रिमाण्ड ड्यूटी के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक अपने निवास पर कार्य निष्पादित करेंगे।

आदेश I व II में जिन अधिकारीगण को शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिस तिथि तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है, वह आगामी अधिकृत अधिकारीगण की तिथि को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर कार्य करेंगें।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में उक्त न्यायालय/कार्यालय उनके आगे अंकित तिथियों में राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा इन न्यायालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगण भी नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

नोटः– आदेश I में अंकित अधिकारीगण ड्यूटी अवधि मे नवनिर्मित न्यायालय भवन के भूतल पर स्थित न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण अजमेर एवं आदेश II में अंकित अधिकारीगण ड्यूटी अवधि में न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न.01 अजमेर में अपना कार्य सम्पादित करेगें ।

आदेश–III

श्रीमान् निदेशक, राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर के आदेश क्रमांक RSJA/RJS-Trng/2025/F-8/2005 दिनांक 17.10.2025 की अनुपालना में अजमेर मुख्यालय पर पदस्थापित निम्नांकित प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण को शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 एवं नववर्ष अवकाश दिनांक 01.01.2026 तक की अवधि के दौरान निम्नानुसार अटैच्ड किया जाता है:–

नाम प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण	दिनांक जिस हेतु ड्यूटी लगाई गई है।	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके साथ अटैच्ड किया गया है।
देव प्रताप सिंह, ओमप्रकाश राईका, कृतिका अग्रवाल	दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 26.12.2025 तक	श्रीमती बबीता वर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण अजमेर
प्रियंका बाजपाई, पूनम जग्रवाल, बाबूलाल	दिनांक 27.12.2025 दिनांक 28.12.2025	श्रीमती बबीता वर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण अजमेर श्री नवीन मीणा विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न.03 अजमेर
नुपुर गुप्ता, अलीशा मंसूरी, जाह्न्वी आहूजा	दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 30.12.2025 तक	श्री नवीन मीणा विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न.03 अजमेर
ऐंजल, प्रियेन्द्र विक्रम सिंह, दीपाली फौजदार	दिनांक 31.12.2025 से दिनांक 01.01.2026 तक	श्रीमती भावना सिंह अतिरिक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न.06 अजमेर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 3-12-25

क्रमांक/ 44915-45006

दिनांकः– 3/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अजमेर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त पीठासीन अधिकारी/समस्त प्रभारी अधिकारी/समस्त अभिभाषक संघ
2. पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर/उपकारागृह ब्यावर/उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर
4. स्टेनोग्राफर ग्रेड–प्रथम जिला न्यायालय अजमेर
5. रीडर ग्रेड–प्रथम, जिला न्यायालय, अजमेर
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सेल अमीन/नाजिर जिला न्यायालय, अजमेर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 3/12/25